केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/20/00124
CICOM/R/P/20/00473

अपीलकर्ता : श्री विरपाल सिंह
कैतवाड़ा, ज्वालापुर
हरिद्वार, उत्तराखंड ।

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	22.10.2020
केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त होने की तिथि	02.11.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	03.12.2020
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. सीतारामा मूर्ति
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	26.11.2020, 01.01.2021
निर्णय की तारीख	18.01.2021

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 22.10.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/SG/A/2012/000976 के अनुपालन में के संदर्भ में 'उक्त आदेश अन्तर्गत प्रयोग में लाए गए दस्तावेजों का (Inspection) निरीक्षण' की मांग की गई थी ।

प्रदान की गई सूचना

2. श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM-R-P-20-00473-SC-227 दिनांक 03.12.2020 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को निम्नलिखित सूचना प्रदान की गई:-

> 'कृपया अधोहस्ताक्षरित अधिकारी से दूरभाष सं.011-26181927 पर वार्ता करके आपसी सहमति से दिन एवं समय निर्धारित करने के पश्चात नियत दिन एवं समय पर आप कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं' ।

प्रथम अपील का आधार

3. अपीलकर्ता ने दिनांक 01.01.2021 के प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि CICOM-R-P-20-00473-SC-227 दिनांक 03.12.2020 सूचनार्थी को दिनांक 16.12.2020 को प्राप्त हुआ, असहमति के कारण यह प्रथम अपील प्रस्तुत की जा रही है' ।

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत संचिका सं. CIC/SG/A/2012/000976 के निरीक्षण की मांग की थी, जिसके प्रतिउत्तर में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दूरभाष नं. सम्पर्क कर निरीक्षण हेतु दिन एवं समय निर्धारित कर निरीक्षण की अनुमति दे दी गई है, इस पर अपीलकर्ता की असहमति का कारण समझ से परे है । श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 03.12.2020 के पत्र के माध्यम से प्रेषित सूचना,

C. I. C. / के० सू० आ०
RECEIVED
19 JAN 2021
D. No.
Initials

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार ही है । अतः इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख: 18 जनवरी, 2021.

मीना शर्मा 18/01/2021

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।